न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—368/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/368)

1. वीरसिंह पुत्र गबरूलाल, जाति माली, निवासी ई—197, शास्त्री नगर, पार्क नंबर 4 के पास, अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. कालू पुत्र श्योजी, निवासी ग्राम केरियाखुर्द
2. शंकर पुत्र श्योजी, निवासी ग्राम केरियाखुर्द
3. मेघराज पुत्र रतन, निवासी ग्राम केरियाखुर्द
4. रामरतन पुत्र सुवालाल, निवासी ग्राम केरियाखुर्द (मृतक जरिए वारिसान)
   4/1 श्रीमती सोनी पत्नि रामरतन
   4/2 गोपीराम पुत्र रामरतन
   4/3 नाहरसिंह पुत्र रामरतन
   4/4 राजेन्द्र सिंह पुत्र रामरतन
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम केरियाखुर्द तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
   4/5 श्रीमती मिश्री पत्नि रामधन जाट पुत्री रामरतन
   4/6 श्रीमती मिराज पत्नि सुखपाल पुत्री रामरतन
   दोनों जाति जाट निवासी ग्राम मावसीया ढाणी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
5. प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा रामसर, नसीराबाद
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद।

रेस्पोडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2025 राजस्व वाद संख्या 26/2025

उपस्थितः—

1. श्री जी0एस0 लखावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 6
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3, 4/1 से 4/6 व 5 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—04.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 26/2025 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी वीरसिंह द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत

किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण में दिनांक 17.07.2025 को निर्णय पारित कर प्रकरण में निर्णय व डिक्री जारी किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 26/2025 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी अपीलार्थी को मूलतः ग्राम केरियाखुर्द के वर्किंग खसरा नं. 638 से भूमि का आवंटन हुआ था, किन्तु राजस्व अभिलेखों में अंकन के समय क्षेत्रफल मिलान में त्रुटि हो जाने से उसके वास्तविक कब्जे वाली भूमि के स्थान पर अन्य भूमि (खसरा संख्या 1129/316) में उसका नाम अंकित कर दिया गया, जो कि पूर्णतः तथ्यहीन एवं त्रुटिपूर्ण है। इस त्रुटि के कारण वादी को उसके वास्तविक अधिकार से वंचित किया गया है। वाद में विभिन्न समय पर तैयार मौका रिपोर्ट्स विशेषतः दिनांक 26.08.2021, 04.04.2023, 14.10.2024 तथा 25.11.2024 से स्पष्ट है कि वादी का खसरा नं. 1129/316 पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा तथा उसका वास्तविक कब्जा खसरा नं. 286/1512, 317, 318, 1130/316 आदि पर है, जहाँ वह वर्षों से काश्त करता आ रहा है। ऐसी स्थिति में राजस्व अभिलेखों का वर्तमान स्वरूप पूर्णतः अव्यवस्थित एवं गलत है। अपीलार्थी/वादी द्वारा सीमाज्ञान हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन को यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि संबंधित खसरे पर उसका कब्जा नहीं है जबकि स्वयं राजस्व विभाग की रिपोर्ट्स ने यह स्पष्ट कर दिया कि उक्त भूमि वादी को कभी कब्जे में नहीं दी गई थी। यह स्पष्ट करता है कि नामांतरण के समय राजस्व रिकार्ड में गंभीर त्रुटि हुई है जिसे दुरुस्त करना न्यायोचित है। किंतु ऐसा ना कर उपखंड अधिकारी नसीराबाद ने वादी का वाद ही यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वादी का चाहे गए खसरों पर कब्जा नहीं है जो विधि विरुद्ध है जिसे अपील के माध्यम से हस्तक्षेप कर निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा। अपीलार्थी/वादी को वांछित भूमि का आवंटन वर्ष 1975 में भूतपूर्व सैनिक होने के नाते किया गया था। आवंटन के पश्चात वादी को 15 बीघा भूमि पर कब्जा भी राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर दिलवाया गया था। किन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा क्षेत्रफल मिलान की प्रक्रिया में वादी को जिस भूमि पर कब्जा दिया गया था, उसके स्थान पर भिन्न खसरा संख्या (खसरा संख्या 1129/316) में खातीदारी दर्शा दी गई, जबकि उस खसरे पर वादी का कभी भी न तो कब्जा रहा है और न ही उपयोग। यह गंभीर प्रशासनिक त्रुटि सेटलमेंट विभाग की ओर से हुई है, जिसके कारण वादी को आज तक असल में कब्जे में रही भूमि पर खातीदारी नहीं प्राप्त हो पाई है। उक्त त्रुटि को न्यायहित में दुरुस्त किया जाना आवश्यक था किंतु ऐसा नहीं कर उपखंड अधिकारी नसीराबाद ने वादी का वाद ही खारिज कर दिया जिसे अपील के माध्यम से हस्तक्षेप कर निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा। अपीलार्थी वादी द्वारा सीमा ज्ञान हेतु प्रस्तुत किए गए आवेदन को यह

कहकर निरस्त कर दिया गया एक संबंधित खसरे पर उसका कब्जा नहीं है जबकि स्वयं राजस्व विभाग की रिपोर्टस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वादी की खातेदारी की भूमि पर श्योजी का कब्जा है उक्त भूमि वादी को कभी कब्जे में नहीं दी गई थी। यह स्पष्ट करता है कि सेटलमेंट के समय राजस्व रिकार्ड में गंभीर त्रुटि हुई है जिसे दुरुस्त करना न्यायोचित है। माननीय उपखंड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित आदेश में वादी की प्रस्तुत मौका रिपोर्ट और कब्जे के साक्ष्यों का यथोचित परीक्षण नहीं किया गया और न ही दस्तावेज़ी सबूतों की सम्यक विवेचना की गई। आदेश में केवल इस आधार पर वाद खारिज किया गया कि आवंटन के समय नक्शा संलग्न नहीं था, जबकि कब्जे एवं उपयोग के वर्षों पुराने तथ्य उपलब्ध थे। यह आदेश विधिक त्रुटि से ग्रसित होने से अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 26/2025 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2025 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता वर्तमान प्रकरण में फोर्मल पक्षकार हैं। न्यायालय हाजा द्वारा किए गए निर्णय से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई एकपक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करते हुए वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 17.07.2025 को खारिज किया जाकर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

वादी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खसरा नम्बर 1129/316 के स्थान पर 286/1512 अंकन किया जावे तथा खसरा नम्बर 317, 318, 1130/316 पर भी वादी का कब्जा काश्त आवंटन दिनांक से चला आ रहा है तथा उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी वादी के नाम इंद्राज की जावे जिससे वादी की संपूर्ण आवंटनशुदा 15 बीघा भूमि वादी को मिल सके तथा वर्किंग खसरा नम्बर 638 में काबिज वादी व प्रतिवादी को मौके अनुसार हाल जमाबंदी में इंद्राज किया जावे। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुतोष चाहा गया।

राजकीय पैरोकार द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत किया गया कि वादी को वर्किंग खसरा नम्बर 638 में से 15 बीघा भूमि का आवंटन हुआ था जो कि पत्रावली पर भी उपलब्ध है। हाल खसरा नम्बर 1129/316 रकबा 2.40 वादी के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 319 से 322 रकबा 1.62 रामरतन पुत्र सुवालाल के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 286/1512 रकबा 1.62 श्योजी पुत्र लादू के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 317, 318, 1130/316 सिवायचक दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पर वादी/अपीलांट का कब्जा नहीं है। वादी को आवंटित हुई भूमि का नजरी नक्शा नहीं

बना हुआ है। खसरा नम्बर 317, 318 व 1130/316 सिवायचक खाते में दर्ज है।

राजकीय पैरोकार द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि वर्किंग खसरा नम्बर 638 के हाल खसरा नम्बर 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323 मिन व 286/1512 बने हैं। वर्किंग जमाबंदी में उक्त विवादित आराजीयात सिवायचक खाते में दर्ज की गई। जिसके पश्चात शुद्धि पत्र की धारा 166 के तहत सिवायचक खसरा नम्बर 316 रकबा 3.35 में से नए खसरा नम्बर 1129/316 रकबा 2.40है0 पर वादी को खातेदार दर्ज किया गया। खसरा नम्बर 319 से 322 रकबा 1.62 रामरतन पुत्र सुवालाल के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 286/1512 रकबा 1.62 श्योजी पुत्र लादू के नाम दर्ज है व खसरा नम्बर 317, 318, 1130/316 सिवायचक दर्ज है।

राजकीय पैरोकार ने अपने जवाब में हाल खसरा नम्बर 316 पर कभी भी वादी/अपीलांट का कब्जा नहीं बताया गया है। वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 1129/316 दर्ज है। वादी/अपीलांट द्वारा हाल खसरा नम्बर 317, 318 व 1130/316 पर खातेदारी बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था, परंतु उक्त खसरा नम्बर सिवायचक खाते में दर्ज हैं। उक्त आराजीयात पर वादी/अपीलांट का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा वादी द्वारा भी अपने समर्थन में ऐसे कोई राजस्व दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनसे वादी/अपीलांट का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त सिद्ध होता हो।

ग्राम केरियाखुर्द के वर्किंग खसरा नम्बर 638 रकबा 45–3–10 में से 15–0–0 भूमि का आवंटन दिनांक 08.08.1975 को वादी/अपीलांट के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामांतरकरण संख्या 1 दिनांक 14.10.1986 द्वारा उक्त आराजीयात वादी/अपीलांट को आवंटित की गई। परंतु वादी/अपीलांट को आवंटित भूमि का उस समय नजरी नक्शा नहीं बनाया गया। वादी/अपीलांट को आवंटित भूमि वर्किंग खसरा नम्बर 638 में से 15 बीघा किस दिशा में आवंटित की गई है, इस संबंध में वादी/अपीलांट द्वारा कोई समुचित दस्तावेजात व नजरी नक्शा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

वादी/अपीलांट द्वारा 1129/316 के स्थान पर 286/1512 अंकन किए जाने हेतु कथन किया गया व वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी किए जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें हाल खसरा नम्बर 1129/316 पर ही अपना कब्जा काश्त बताया गया व उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी/अपीलांट के नाम दर्ज है। जबकि वादी अपना कब्जा खसरा नम्बर 286/1512 पर होना बताया गया है परंतु उक्त खसरा नम्बर श्योजी पुत्र लादू के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा वादी/अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 317, 318, 1130/316 पर भी खातेदारी चाही गई है परंतु उक्त खसरा नम्बर सिवायचक खाते में दर्ज हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है चूंकि उनके द्वारा किया गया निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध विधिक दस्तावेजों को गहनता पूर्वक अवलोकन किए जाने के पश्चात प्रकरण में तनकी निर्मित कर प्रकरण में तनकीवार निर्णय व डिक्री पारित किया गया है, जो कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं होने से हाजा न्यायालय द्वारा उक्त

निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 26/2025 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.07.2025 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 04.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर